[भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

अधिसूचना

सं. 30/2017-सीमा शुल्क (एडीडी)

नई दिल्ली, दिनांक 16 जून, 2017

सा.का.नि. (अ),- जहांकि पाकिस्तान, सऊदी अरब और संयुक्त अमीरात (एतश्मिन पश्चात जिन्हें विषयगत देश से संदर्भित किया गया है) में मूलत: उत्पादित या वहां से मामूली मोटाई के अर्थात 4 मिमी. से 12 मिमी. तक के (दोनों सीमाएं शामिल हैं) निर्यातित क्लियर फ्लोट ग्लास, जिनकी मोटाई BIS 14900:2000, (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत माल कहा गया है) के अनुसार है और जो सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के शीर्ष 7003,7004, 7005,7009, 7013, 7015, 7016, 7018, 7019, 7020 के अंतर्गत आते हैं, के आयात के मामले में निर्दिष्ट प्राधिकारी ने अधिसूचना सं. 14/25/2012-DGAD, दिनांक 10 अक्तूबर, 2014, जिसे दिनांक 10 अक्तूबर, 2014 को भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा अपने अंतिम निष्कर्षों में यह सिफारिश की है कि घरेलू उद्योग को नुकसान न होने पाए इसके लिए विषयगत देश से आयात किए जाने वाले सभी विषयगत वस्तुओं पर प्रतिपाटन शुल्क लगाया जाना चाहिए;

और जहांकि, निर्दिष्ट प्राधिकारी के उपर्युक्त निष्कर्षों के आधार पर केन्द्र सरकार ने भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 48/2014-सीमा शुल्क, दिनांक 11 दिसम्बर, 2014, जिसे सा.का.नि. 885 (अ), दिनांक 11 दिसम्बर, 2014 के द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था के द्वारा विषयगत वस्तुओं पर प्रतिपाटन शुल्क लगाया था;

और जहांकि, मैसर्स तारिक ग्लास इंडस्ट्रीज लिमिटेड (एतश्मिन पश्चात जिसे ''न्यू शिपर'' से संदर्भित किया गया है) ने अपने द्वारा निर्यात किए गए माल के संबंध में सीमा शुल्क टैरिफ (अभिज्ञान, आकलन और पाटित वस्तुओं पर प्रतिपाटन शुल्क का संकलन और क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (एतश्मिन पश्चात जिसे उक्त नियमावली से संदर्भित किया गया है) के नियम 22 के अंतर्गत समीक्षा का अनुरोध किया है और निर्दिष्ट प्राधिकारी ने न्यू शिपर अधिसूचना सं. 15/16/2015-DGAD, दिनांक 23 सितम्बर, 2015, जिसे 23 सितम्बर, 2015 को भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था के तहत न्यू शिपर के द्वारा किए जाने वाले विषयगत माल के सभी निर्यात के अनंतिम आकलन, जब इनका आयात भारत में

हो, की तब तक अनंतिम आकलन किए जाने की सिफारिश की है, जब तक कि यह समीक्षा का कार्य पूरा नहीं हो जाता;

और जहां कि, उक्त नियमावली के नियम 22 के उप-नियम (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार उक्त सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात तथा भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 53/2015-सीमा शुल्क, दिनांक 30 अक्तूबर, 2015, जिसे सा.का.नि. 825 (अ), दिनांक 30 अक्तूबर, 2015 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था के द्वारा यह आदेश दिया है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी के उक्त समीक्षा के परिणाम के आने तक जब मैसर्स तारिक ग्लास इंडस्ट्रीज लिमिटेड (निर्यातक) के द्वारा निर्यात किया गया हो तो निर्यातित माल अनंतिम आकलन के तहत ही रहेगा जब तक कि इस समीक्षा का कार्य पूरा नहीं हो जाता है;

जहां कि निर्दिष्ट प्रधिकारी ने अधिसूचना सं. 15/16/2015- डीजीएडी जिसे 23 सितंबर 2015 को भारत के राजपत्र , असाधार के भाग । खण्ड 1 में प्रकाशित किया गया था, के तहत शुरू किए गए न्यू शिपर रिव्यू के मामले में अधिसूचना सं. 15/16/2015- डीजीएडी, जिसे 10 अप्रैल 2017 को भारत के राजपत्र, असाधरण के भाग । खण्ड 1 में प्रकाशित किया गया था, हमें अंतिम निष्कर्षों में यह शिफारिश की है कि मैसर्स तारिक ग्लास इण्डस्ट्रीज, पाकिस्तान के द्वारा उत्पादित, निर्यातित 'क्लियर फ्लोट ग्लास, जिसकी नोमिनल थिक्नैस 4 मिमी से 12 मिमी तक हो, यह नोमिनल थिक्नैस बीआईएस 14900;2000 के अनुसार,' जोकि सीमा शुल्क टेरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय 70 के अन्तर्गत आते हैं, के आयात पर 23.54 अमेरिकी डॉलर की दर से प्रतिपाटन शुल्क लगाया जाए।

अत: सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं पर प्रतिपाटन शुल्क की पहचान, उसका मूल्यांकन तथा संग्रहण और क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 18, 20, 22 तथा 23 के साथ पठित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 9क की उप-धारा (i) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार, विनिर्दिष्ट प्राधिकारी के पूर्वोका अंतिम निर्णयों पर विचार करने के पश्चात एतदद्वारा निम्नलिखित निम्नलिखित परिवर्तन करती है:-

(क) भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 48/2014 सीमाशुल्क (एडीडी), दिनांक 11 दिसंबर 2014, जिसे भारत के राजपत्र, असाधारण-II खंड-3, उपखंड (i) दिनांक 11 दिसंबर 2014 में अधिसूचना सं० सा.का. 885 (अ), दिनांक 11 दिसंबर 2014के तहत प्रकाशित किया गया था, में निम्नानुसार संशोधन किए जाएं:

(i) उक्त अधिसूचना की तालिका में:-

(क) क्रम सं 10 तथा उससे संबंधित प्रवष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम सं० तथा प्रवृष्टियों को अंतस्थापित किए जाए, नामत:-

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| "10क | 7003, 7004, 7005, 7009, 7013, 7015, 7016, 7018, 7019, 7020 | मामूली मोटाई के अर्थात 4 मिमी. से 12 मिमी. तक के (दोनों सीमाएं शामिल हैं) निर्यातित क्लियर फ्लोट ग्लास, जिनकी मोटाई BIS 14900:2000 के अनुसार हो | *पाकिस्तान* | *पाकिस्तान* | मैसर्स तारिक ग्लास इंडस्ट्रीज लिमिटेड | मैसर्स तारिक ग्लास इंडस्ट्रीज लिमिटेड | 23.54 | MT | USD"; |

(ख) क्रम संख में कॉलम (6) तथा 7 में, प्रवृष्टियों में शब्द, अक्षर तथा अंक 'क्रम सं 10' के पश्चात शब्द, अक्षर तथा अंक 'तथा क्रम संख्या 10 क' को अंत स्थापित किया जाएगा।

(ख) विषयगत माल के सभी आयात, जोकि भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं 53/2015-सीमाशुल्क, दिनांक 30 अक्टूबर, 2015 के माध्यम से भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-।।, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित, के अनुसरण में अनंतिम निर्धारण के अधीन है, प्रतिपाटन शुल्क के भुगतान पर अंतिम निर्धारण के अधीन होंगे, जैसा कि भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग), की अधिसूचना सं 48/2014-सीमाशुल्क, दिनांक 11 दिसंबर 2014 अधिसूचना सं० सा.का.नि. 885 (अ) दिनांक 11 दिसंबर 2014 के तहत प्रकाशित की सारणी में क्रम सं० 10 क तथा 11 में उल्लिखित हैं।

(ग) अधिसूचना सा. का. नि. 825 (अ) दिनांक 30 अक्टूबर, 2015 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-।।, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग), अधिसूचना सं 53/2015-सीमाशुल्क (एडीडी), दिनांक अक्टूबर, 2015 को ऐसे निस्तारण से पूर्व की गई या लोप की जाने वाली संबंधित बातों को छोड़कर रद्द कर दिया जाएगा।

2 तथा जबकि, अधिसूचना सं॰ 15/6/2015 डीजीएडी, दिनांक 10 अप्रैल, 2017, जिसे भारत के राजपत्र असाधारण, भाग-। खंड 1 दिनांक 10 अप्रैल, 2017 को प्रकाशित किया गया है को रिट याचिका सं 2017 की 12950 में माननीय मद्रास उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी तथा उच्च न्यायालय ने अपने दिनांक 25.05.2017 के आदेश के माध्यम से इस मामले को 'मामले के तथ्यों तथा परिस्थितियों पर विचार करते हुए, दिनांक 09.06.2017 तक यथास्थिति का अनंतिम आदेश दिया जाए' रोक रखा है।

3 अब इसलिए, मद्रास उच्च न्यायालय के पूर्वो का आदेश को देखते हुए माननीय मद्रास उच्च न्यायालय के पूर्वोका रिचयाचिका सं 2017 की 12950 में अंतिम आदेश आने तक प्रास्थगित रहेगी।

[फा.सं. 354/ 46/2014-टीआरयू]

(रुचि बिष्ट)

अवर सचिव, भारत सरकार